रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2001/ज्येष्ठ 3, 1923
No. 334] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2001/JYAISTHA 3, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2001

का.आ. 456(अ).—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. जी. नंदी की अध्यक्षता वाले विधि-विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण की रिपोर्ट ।

विधि-विरुद्ध कार्य कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) जिसे इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल आफ (नागालैंड जिसे इसमें इसके पश्चात एन एस सी एन कहा गया है) को इसके सभी गुटों, विगों एवं अग्रणी संगठनों सहित विधि-विरूद्ध संगम घोषित किया ।

2. केन्द्रीय सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उपरोक्त संगठन निम्नलिखित आधार पर विधि-विरुद्ध थे (1) संघों ने नागा प्रभुता वाले क्षेत्रों, जो भारतीय भू-भाग का हिस्सा है, को भारत से विलग करने के अपने नीतिगत उद्देश्यों की घोषणा की है (2) ऐसे विधि-विरूद्ध क्रियाकलापों में लगे हैं जो भारत की प्रभुता और अखंडता को विच्छिन्न करते हैं (3) अपने उद्देश्यों के अनुसरण में, उस अवधिक में जब इन्हें विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया गया था, कुछ विधि-विरूद्ध और हिंसक कार्यकलापों में लगे हुए हैं और इस प्रकार विधिपूर्ण रूप से गठित सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचायी है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों में डर और आतंक फैलाया है ।

3. भारत सरकार का यह भी मत है कि हिंसक और विधि विरूद्ध कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) नागालैंड में व्यवसायियो, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों समेत जनता से धन ऐंठना और अवैध कर का संग्रहण करना ;

(ख) अल्फा, बोडो उग्रवादियों, मैतेयी, त्रिपुरा और खासी उग्रवादी गुटों जैसे पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही गुटों के साथ संबंध बनाए रखना और उन्हें अधिक मजबूत करना, तथा इन गुटों को समर्थन देना;

(ग) पड़ोसी देशों में आश्रय स्थलों, छुपने के ठिकानों और प्रशिक्षण शिविरों को स्थापितकरना ;

(घ) विदेश स्थित गुप्त या अवैध माध्यमों से अत्याधुनिक हथियारों सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद प्राप्त करना ओर उन्हें कुछ पड़ोसी देशों के रास्ते मणिपुर और नागालैंड में गुप्त रूप से भेजना ;

(ङ) विदेशों में भारत विरोधी प्रचार के लिए यू एन कमीशन आल ह्यूमन राइट्स, द वर्किंग ग्रुप आन इनडिजिनस पीपुल्स आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग करना ;

(च) मणिपुर और नागालैंड में नागा और कुकी जनजातियों के मध्य उतेजक सांप्रदायिक झगड़े कराने के लिए नागा ग्रामीणों को सक्रिय सहयोग देना ।

4. केन्द्र सरकार का उपरोक्त दृष्टिकोण के आधार पर यह मत है कि एन एस सी एन के उपरोक्त कार्यकलाप भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं । भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19.12.2000 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1131 (अ) के तहत् निर्णय देने के उद्देश्य से इस अधिकरण का गठन किया कि क्या एन एस सी एन को इसके सभी गुटों, विंगों एवं अग्रणी संगठनों सहित एक विधि विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं और अधिनियम की धारा 4 (1) के उपबधों के अंतर्गत इस अधिकरण को हवाला भेजा ।

5. इस अधिकरण ने इस अधिनियम की धारा 4(2) के उपबंधों के अनुसरण में दिनांक 19.1.2000 के आदेश द्वारा एन एस सी एन को लिखित में कारण बताओं नोटिस जारी करने का निदेश दिया था अधिकरण ने यह भी निदेश दिया है कि नागालैंड में परिभाषित और प्रकाशित दैनिक राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन के जरिए और रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारित करके ये नोटिस तामील किए जाएंगे । इन नोटिसों का जिला या तहसील के मुख्यालयोंमें प्रत्येक जिला मेजिस्ट्रेट, तहसीलदार के नोटिस बोर्ड पर, जहां भी संभव हो, तामील किएजाने का भी निदेश दिया गया था । तामील रिपोर्ट को इसके पश्चात दो सप्ताह के भीतर इस

अधिकरण के रजिस्ट्रार के कार्यालय में दर्ज किए जाने का भी निदेश दिया गया था जो उन संबंधित कर्मचारियों केशपथ पत्रों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित हो, जिन्होंने सहायक दस्तावेजों सहित इन्हें तामील किया हो । केन्द्र सरकार ने अनुलग्नक 1 से 10 के साथ भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अवर सचिव श्री रामफल, द्वारा सशपथ अधिकरण द्वारा जारी किए गए अधिसूचना और नोटिसों की तामील के शपथ पत्र को मार्क-क के रूप में दर्ज किया जिसे रिकार्ड पर लिया गया ।

तत्पश्चात, नागालैंड सरकार तथा भारत संघ को निदेश दिए गए थे कि वे तीन सप्ताह के भीतर संबद्ध दस्तावेजों की प्रतियों समेत साक्ष्य के रूप में शपथपत्र दायर करें । भारत संघ के वकील तथा नागालैंड राज्य के वकील ने बताया कि क्योंकि अधिकांश अधिकारी, जिनके मौखिक बयान रिकार्ड किए जाने हैं, नागालैंड में हैं, अतः बयान रिकार्ड करने की आवश्यक तारीख/तारीखें संभवतः अप्रैल, 2001 में दीमापुर, नागालैंड में ही निर्धारित की जाएं । तदनुसार, अदालत की अगली बैठक इस मामले में बयान रिकार्ड करने के लिए 20 तथा 21 अप्रैल, 2001 को दीमापुर, नागालैंड में निर्धारित की गई थी । तत्पश्चात, नागालैंड सरकार और भारत संघ को निदेश दिए गए थे कि वे सुनवाई की अगली तारीख से पहले संबद्ध दस्तावेजों की प्रतियों समेत साक्ष्य के रूप में शपथपत्र दायर करें ।

6. न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा दायर रिपोर्ट तथा रिकार्डों में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि एन.एस.सी.एन. को इस अधिनियम के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित निर्देशों के अनुसार नोटिस विधिवत रूप से तामील किए गए हैं । एन.एस.सी.एन. या उसके किसी विंग/गुट के लिए उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति इस नोटिस के उत्तर में पेश नहीं हुआ और न ही कोई कारण बताया । एडवोकेट श्री यू.हजारिका भारत संघ की ओर से पेश हुए जबकि वरिष्ठ एडवोकेट श्री कैलाश वासुदेव, श्री संजय के शान्डिल्या, श्री देवदत्त कामत और ए.बी. भुल्लर एडवोकेटों के साथ नागालैंड राज्य की ओर से पेश हुए ।

7. गृह मंत्रालय (एन ई प्रभाग द्वारा दायर सार में यह सुझाव दिया गया है कि एन.एस.सी.एन और इसके सभी गुटों तथा यूनिटों को पहले दिनांक 27.11.1994 से दो वर्ष की अवधि के लिए अधिनियम के अंतर्गत "विधिविरूद्ध" संगठन घोषित किया गया था । तत्पश्चात इसे दो बार और दो-दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था । 27.11.1998 को जारी की गई पिछली अधिसूचना 26.11.2000 को समाप्त होनी थी । अतः इस तारीख से पहले प्रतिबंध को और आगे बढ़ाने के बारे में निर्णय लेना आवश्यक था । सार में यह सुझाव भी दिया गया है कि एन.एस.सी.एन के सभी गुटों पर छः वर्ष की अवधि के लिए लगातार प्रतिबंध लगाया जा चुका है । अतः इस अधिकरण के लिए एन.एस.सी.एन के इतिहास को जानना आवश्यक नहीं है । इन संगठनों के उद्देश्यों और उनकी पिछली गतिविधियों को जानने के लिए, वर्ष 1994 का पहले का हवाला देना पर्याप्त होगा जब एन.एस.सी. एन और इसके सभी गुटों तथा यूनिटों को 27.11.1994 से दो वर्ष की अवधि के लिए पहले विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया गया, यह प्रतिबंध अब तक छः वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा चुका है । एन.एस.सी.एन व उसके गुटों व यूनिटों को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने तथा प्रतिबंध को छः वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने के आधार निम्नलिखित थे :-

(i) एन.एस.सी.एन के दोनों गुटों के ऐसे संविधान हैं जिसमें वे विशेष रूप से नागा प्रभुता वाले क्षेत्रों को भारत से विलग करने के अपने मूल उद्देश्यों की घोषणा करते रहते हैं ;

(ii) एन.एस.सी.एन अपने गठन के बाद से ही अनेक हिंसक बारदातें, सेना व पुलिस कार्मिकों से शस्त्र व गोला-बारूद लूटने के लिए जिम्मेदार रहा है जिसमें सेना/पुलिस के अनेक कार्मिकों तथा नागरिकों की जानें गई थी ।

(iii) एन.एस.सी.एन के दोनों गुट शस्त्र तथा गोला-बारुद प्राप्त करने तथा अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए जनता से धन ऐंठने ओर अवैध कर का संग्रहण करने मे लगे हुए हैं ।

(iv) दोनों गुटों ने पूर्वोत्तर मे अन्य विद्रोही ग्रुपों को उत्प्रेरित करने और सहायता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाने की कोशिश की है । एन.एस.सी.एन (आई.एम) तथा एन.एस.सी.एन (के) दोनों के यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के साथ संपर्क की सूचना है जबकि एन.एस.सी.एन (आई.एम) के पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए) तथा यनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ) जैसे मणिपुर के मैतई उग्रवादी ग्रुपों के साथ संपर्क हैं जो मणिपुर के घाटी क्षेत्रों में सक्रिय है, एन.एस.सी एन (के) ने भी यू.एन.एल.एफ ने एक गुट के साथ संपर्क स्थापित किया है । एन.एस.सी.एन (आई.एम) को बोडो, खासी तथा त्रिपुरा जनजातीय उग्रवादी ग्रुपों के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में भी सफलता मिली है ।

(v) एस.एस.सी.एन. के दोनों गुट पड़ौसी देशों में अपने अड्डे बनाए हुए हैं । हालांकि एन.एस.सी.एन (के) पड़ौसी म्यांमार में अपने मुख्यालय से गतिविधियां चलाती हैं, लेकिन यह ज्ञात हुआ है कि एन.एस.सी.एन (आई.एम) के बंगलादेश में आश्रय स्थल तथा प्रशिक्षण शिविर हैं । शेख हसीना वाजिद केनेतृत्व में आवामी लीग सरकार की स्थापना हो जाने के बाद एन.एस.सी.एन (आई.एम) समेत भारतीय विद्रोही ग्रुपों को बंगलादेश में अपने शिविर खाली करने के लिए बाध्य किया गया है ।तथापि, बंगलादेश एन.एस.सी.एन (आई.एम) समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न उग्रवादी ग्रुपों के लिए आश्रय स्थल बना हुआ है ।

vi) एन.एस.सी. एन (आई.एम) कुकी-नागा नृजातीय संघर्ष में भी संलिप्त रहे हैं, जो 1992 के लगभग शुरू हुआ, और 1993 के चरम सीमा पर पहुंच गया । हालांकि कुक्र्क नागा नृजातीय संघर्ष में वर्ष 1995 के बाद से कमी आई है, लेकिन दूरराज के इलाकों में अभी भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं जिससे जान-माल का नुकसान हो रहा है ।

(vii) एन एस सी एन के दोनों गुट अवैध शस्त्र और गोला बारूद प्राप्त कर रहे हैं और ये या तो विदेशों अवैध शस्त्र व्यापारियों से खरीदे जा रहे हैं और उनकी देश में तस्करी की जा रही है अथवा विभिन्न सुरक्षा बलों से छीने जा रहे हैं । ऐसी गतिविधियों से एन एस सी एन (आई.एम) के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क होने की स्पष्ट पुष्टि होती है ।

(viii) एन एस सी एन (आई एम) जिसने अन-रिप्रेजेंटेड नेशन्स एंड पीपुल्स आर्गेनाईजेशन (यू एन एन पी ओ) नामक एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, जो हेग में है, की सदस्यता प्राप्त करने में सफलता पाई है और यह मानवाधिकार संबंधी यू एन आयोग, यू एन

वर्किंग ग्रुप ऑन इन्डीजीनस पीपुल्स तथा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव का निवारण करने वाले यू एन उप-आयोग जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में पहुंचने के लिए यू एन पी ओ का इस्तेमाल कर रहा है । यू एन पी ओ की मध्यस्थता से एन एस सी एन (आई एम) नेताओं ने इन अंतर्राष्ट्रीय निकायों की बैठकों को संबोधित करने में सफलता प्राप्त की है । अपने भाषण में एन एस सी एन (आई एम) नेताओं ने भारत सरकार की आलोचना की है तथा मानवाधिकारों के कथित हनन और नागा क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण का आरोप लगाकर भारतीय सुरक्षा बलों के विरुद्ध निन्दात्मक हमला शुरू किया है ।

(ix) एन एस सी एन (आई एम) यू एन पी ओ की सदस्यता दिलाने में पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही ग्रुपों की भी सहायता कर रहा है । नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) तथा द ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए टी टी एफ) को यू एन पी ओ की सदस्यता दिलाने के लिए उनके आवदेन पत्रों को एन एस सी एन (आई एम) सक्रिय रूप से प्रायोजित कर रहा है ।

अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं की संबंधित अधिकरणों द्वारा पुष्टि की गई थी, जैसा ऊपर बताया गया है, और एन एन सी एन तथा उसके सभी गुटों तथा विंगों को वर्ष 1994 से विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करना जारी रखा गया तथा केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन दिनांक 27.11.2000 को अधिसूना पुनः जारी की जिसमें एन एस सी एन तथा उसके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था । यह वही अधिसूचना एक्स.पी डब्ल्यू-1/1 है जिसे इस अधिकरण को यह न्याय निर्णय करने के लिए भेजा गया है कि रिकार्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर क्या एन एस सी एन को अपने सभी गुटों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण था अथवा नहीं ।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर प्रभाग की दिनांक 27.11.2000 की अधिसूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न विचारार्थ उठते हैं :-

1. क्या रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, एन एस सी एन को उसके सभी गुटों, विंगों तथा अग्रणी संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण था ?

2. क्या भारत सरकार दिनांक 19.12.2000 के भारत के असाधारण गजपत्र में जारी दिनांक 27.11.2000 की अधिसूचना के माध्यम से उनकी गतिविधियों को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए न्याय संगत थी ?

8. दिनांक 20.4.2001 को भारत संघ ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय (पी डब्ल्यू 1) के अवर सचिव, श्री रामफल से पूछताछ की जिन्होंने एक्स.पी.डब्ल्यू-1/2 के रूप में साक्ष्य द्वारा अपना हलफनामा प्रस्तुत किया तथा पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना), नागालैंड (पी डब्ल्यू 2) श्री सी.किक्रोन से भी पूछताछ की जिन्होंने रिपोर्ट एक्स.पी डब्ल्यू-2/1 प्रस्तुत की, दीमापुर, नागालैंड के उपायुक्त श्री अमरदीप सिंह भाटिया (पी डब्ल्यू 3)तथा दीमापुर, नागालैंड के पुलिस अधीक्षक श्री पी.एफ.जैलिआंग (पी डब्ल्यू 4) से भी पूछताछ की ।

सुनवाई की तिथि पर अधिकरण के समक्ष एन एस सी एन के लिए और उनकी ओर से कोई भी उपस्थित/पेश नहीं हुआ तथा पी डब्ल्यू 1, पी डब्ल्यू 2, पी डब्ल्यू 3 तथा पी डब्ल्यू 4 के साक्ष्य निर्विरोध रहे ।

9. रिकार्ड पर उपलब्ध उपरोक्त सामग्री से यह बिलकुल स्पष्ट है कि एन एस सी एन के दोनों गुटों, अर्थात एन एस सी एन (आई/एम) तथा एन एस सी एन (के) ने खुले तौर पर यह घोषणा की है कि उनका लक्ष्य स्वतंत्र, संप्रभु देश का गठन करना है, जिसमें नागा बाहुल्य क्षेत्र शामिल है अर्थात नागा बाहुल्य क्षेत्र जो इस समय नागालैंड राज्य है, को भारत के क्षेत्र से अलग करके नागालैंड संघ राज्य की स्थापना करना है । रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इन संगठनों और इनसे जुडे ब्यक्तियों ने हिंसक घटनाएं की हैं, सेना और पुलिस कार्मिकों से शस्त्र और गोलाबारूद लूटा है तथा बहुत से सेना और पुलिस कर्मी मारे गए हैं । रिकार्ड में दी गई सामग्री में यह सुझाव भी दिया गया है कि एन एस सी एन के दोनों गुट अभी भी हथियार और गोलाबारूद प्राप्त करने के लिए धन ऐंठने तथा अवैध रूप से कर वसूल करने और अपने-अपने गुटों के नेताओं तथा संवर्गों को बनाए हुए हैं । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि दोनों ही गुट भारतीय तेल निगम जैसे कई व्यावसायिक संगठनों सहित दुकानदारों और अन्य नागरिकों से कर वसूल रहे हैं तथ धन ऐंठने के कई मामलों की सूचना प्राप्त हुई है । सरकारी कर्मचारियों और विशेष रूप से विभागध्यक्षों से उनके वेतन का 25% तक दोनों गुटों द्वारा कर की भी मांग की जाती है । साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि 19.11.1999 की घटना में एन एस सी एन (आई/एम) गुट द्वारा नागालैंड राज्य के मुख्य मंत्री पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 39 की कोहिमा-दीमापुर सड़क पर घात लगाकर हमला किया गया था और इस हमले में पुलिस के दो जवान मारे गए थे । साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि दोनों ही गुट अर्थात एन एस सी एन (आई/एम) और एन एस सी एन (के) ने हिंसा के द्वारा एक-दूसरे पर हावी होने का प्रयास किया और 12.2.2001 की घटना में एन एस सी एन (आई/एम) गुट द्वारा एन एस सी एन (के) गुट के विकेश सीमा नामक व्यक्ति का अपहरण किया गया था । यह व्यक्ति दीमापुर जिले केहूखू गांव का था और दीमापुर स्टेडियम में उसी दिन गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई थी । साक्ष्यों से यह भी मालूम होता है कि18.8.2000 की घटना में पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की चेस्ट शाखा को प्रेषित 23.00 लाख रुपए की राशि पर एन एस सी एन (आई/एम) गुट द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था तथा पूरी राशि लूट ली थी और इस घटना में हमलावरों पर सुरक्षा दल द्वारा की गई फाइरिंग में एक हमलावर घायल हो गया था । अतः रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री से यह देखा जा सकता है कि कि एन एस सी एन (आई/एम) और एन एस सी एन (के) द्वारा अपहरण, हत्या, धन ऐंठने, कर और अन्य मांगे की जाती हैं । इसकी पुष्टि ई एक्स.पी डब्ल्यू-2/1 की रिपोर्ट भी करती है (22 पृष्ठ की रिपोर्ट)।

10. रिकार्ड में दर्ज साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि एन एस सी एन के दोनों ही गुट नागालैंडके लोगों, सरकारी कर्मचारियों, राज्य के व्यापार और उपक्रमों, पुलिस तथा सुरक्षा बल के कार्मिकों को लक्ष्य बना रहे हैं तथा उन्हें आतंकित कर रहे हैं । वे लोगों को डराने-धमकाने तथा बड़ी मात्रा में अवैध धन ऐंठने के कार्यों में लिप्त हैं । संबंधित क्षेत्र की सिवलियिन जनसंख्या पर उनकी गैर कानूनी गतिविधियों के सामने हार मानने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है ताकि नागा लोगों के क्षेत्र को भारत संघ से अलग करने में उनके उद्देश्य में सहायता कर सकें ।

पी डब्लूय.1 के साक्ष्य से भी यह स्पष्ट होता है कि इन संगठनों ने उन कुछ देशों के साथ संपर्क स्थापित किया है जो भारतीय सुरक्षा के विरोधी हैं और उनके पड़ोसी देशों में प्रशिक्षण केन्द्र और शिविर हैं और यह कि पड़ोसी देश बंगलादेश अभी भी एन एस सी एन सहित पूर्वोत्तर के कई उग्रवादी गुटों का एक केन्द्र है । यह भी सुझाव दिया गया है कि दोनों ही गुट पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य उग्रवादी गुटों को प्रेरणा और समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । बताया गया है कि एन एस सी एन (के) का युनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के साथ संबंध हैं जब कि एन एस सी एन (आई /एम) के पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए) और द युनाईटिड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ) जैसे मणिपुर के अलगाववादी मैतई गुट के साथ संबंध हैं । यह मणिपुर घाटी के क्षेत्र में सक्रिय है । एन एस सी एन (के)ने यू एन एल एफ के एक गुट के साथ भी संबंध स्थापित किए हैं । एन एस सी एन (आई/एम) ने बोडो, खासी और त्रिपुरा आदिवासी अलगाववादी गुटों के साथ भी संबंध स्थापित करने में सफलता हासिल की है । एन एस सी एन के दोनों ही गुटों ने पड़ोसी देशों में अपने आधार बनाए हुए हैं । एन एस सी एन (आई /एम) गुट, कुकी-नागा जातीय झगड़ों में भी लिप्त था । एन एस सी एन के दोनों ही गुट अभी भी अवैध हथियार और गोला-बारूद प्राप्त कर रहे हैं । ये या तो विदेशों के हथियारों के अवैध व्यापारियों से खरीदे जाते हैं और देश में इनकी तस्करी की जाती है या इन्हें विभिन्न सुरक्षा बलों से जबरन छीन लिया जाता है । पी.डब्ल्यू.1 के साक्ष्यों में यह भी सुझाव दिया गया है कि एन एस सी एन (आई/एम) ने अनरिप्रेसेंटेड नेशन्स एंड पीपल्स आर्गेनाइजेशन (यू एन पी ओ) की सदस्यता हासिल कर ली है । यह हेग में स्थित गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यू.एन. वर्किंग ग्रुप ऑफ इन्डीजिनियस पीपुल्स और यू.एन. सब-कमीशन ऑन प्रीवेन्शन ऑफ डिस्क्रीमिनेशन अगेन्स्ट माइनारिटीज जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक संपर्क बनाने के लिए यू एन पी ओ का उपयोग करता रहा है । साक्ष्य से यह भी सिद्ध होता है कि यू एन पी ओ के माध्यम से एन एस सी एन (आई/एम) नेताओं ने इन अंतर्राष्ट्रीय निकायों की बैठकों को संबोधित किया है और अपने भाषण में एन एस सी एन (आई/एम) नेताओं ने भारत सरकार की आलोचना की है और भारत के सुरक्षा बलों पर यह आरोप लगाते हुए निन्दीय हमला किया है कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और नागा बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र का औपनिवेशकरण कर रहे हैं । साक्ष्य से यह भी सिद्ध होता है कि एन एस सी एन (आई/एम) यू एन पी ओ की सदस्यता प्राप्त करने में पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही गुटों की मदद भी करता रहा है तथा यू एन पी ओ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए त्रिपुरा के नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) और ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए टी टी एफ) द्वारा दिए गए आवेदनों को एन एस सी एन (आई/एम) ने सक्रियता से प्रायोजित किया है । साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान अतिवादियों के मारे एवं पकड़े जाने और एन एस सी एन (आई/एम) और एन एस सी एन (के) द्वारा सुरक्षा बल कार्मिकों के मारे जाने, शस्त्रों के लूटे जाने, शस्त्र बरामद किए जाने, अतिवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने, नागरिकों के मारे जाने एवं उनका अपहरण/व्यपहरण किए जाने की अनेक घटनाएं हैं । साथ ही साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि एन एस सी एन (आई/एम) ने इस समय 31.7.2001 तक लागू युद्ध विराम का पालन किया है और युद्ध विराम की अवधि के दौरान नागालैड में सुरक्षा बलों पर हमले रोके हैं, परन्तु हिंसक हमले लगातार जारी हैं । यहां तक कि पी डब्ल्यू 2 से 4 तक के साक्ष्य से भी पता चलता है कि एन एस सी एन के दोनों गुटों द्वारा जारी की जाने वाली हिंसा की घटनाएं हो रही हैं । 29.11.99 को हुए घटना में कोहिमा-दिसपुरा रोड़ पर नागालैंड राज्य के मुख्य मंत्री के रक्षादल पर एन एस सी एन (आई/एम) द्वारा घात लगाकर हमला किया गया जिसमें दो पुलिस के जवान मारे गए ।

11. इस प्रकार, साक्ष्य से स्पष्ट है कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के अनुपालन में नागालैंड राज्य के भारत संघ के साथ एकीकरण केप्रति पूर्णतः अनादर है । एन एस सी एन (आई/एम) और (के), जैसा कि पहले बताया जा चुका है, नागा बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र को भारत संघ से अलग करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बैठकों को संबोधित करके भारत-विरोधी दुष्प्रचार में अनवरत लगे हैं और रिकार्ड किए गए साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि एन एस सी एन उल्लिखित अन्य संगठनों के पृथकीकरण के उद्देश्यों का समर्थन करता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने आतंकवादी और हिंसक साधनों का सहारा लिया है और कि एन एस सी एन लगातार अतिवादी, अलगाववादी और हिंसक कार्यकलापों में लिप्त है ।

12. जैसा कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा दिनांक 27.11.2000 को जारी उक्त राजपत्र अधिसूचना में भी उल्लिखित है, ताजा अधिसूचना जारी करने के निम्नलिखित कारण हैं :-

(i) नागा बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों को भारत संघ से अलग करने की नीति का अनवरत समर्थन ।

(ii) भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकर कार्यकलापों में अनवरत संलिप्तता ।

(iii) उद्देश्य प्राप्ति के साधनों के रूप में सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से हिंसा और आतंक का लगातार सहारा लेना ।

(iv) नागरिकों की लगातार बड़े पैमाने पर हत्या ।

(v) व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों समेत जनता से बड़े पैमाने पर लूट खसोट और अवैध कर संग्रहण ।

(vi) अल्फा, बोडो उग्रवादियों, मैतेयी उग्रवादियों, त्रिपुरा जनजातीय अतिवादी गुट और खासी अतिवादी संगठन जैसे पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही गुटों से संबंध और समर्थन ।

(vii) पड़ोसी देशों, मुख्यतः बंगलादेश और म्यांमार में शरणस्थलों, सुरक्षित ठिकानों और प्रशिक्षण शिविरों का अनवरत अनुरक्षण ।

(viii) विदेशों के गुप्त माध्यमों के जरिये बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक शस्त्रों और गोलाबारूद की प्राप्ति कर उन्हें मणिपुर और नागालैंड में लाना ।

(ix) नागा बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों को भारत से पृथक करने के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नागाओं के आत्म-निर्णय के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु विभिन्न अंतराष्ट्रीय मंचों का उपयोग ।

(x) पूर्वोत्तर राज्यों में नागा और अन्य जनजातियों के मध्य सांप्रदायिक झगड़े करवाने और भड़काने में सक्रिय संलिप्तता ।

एन एस सी एन (आई/एम) पर प्रतिबंध जारी रखने के अतिरिक्त निम्नलिखित औचित्य हैं

(i) हालांकि एनएस सी एल एन (आई/ एम) ने युद्ध विराम की अवधि के दौरान सुरक्षा बलों पर हमले करने का निषेध किया है, फिर भी इसके संवर्ग एन एस सी एन (के) के विरुद्ध आपत्तिजनक प्रचार करने में लगे हुए हैं ।

(ii) उन्होंने अवैध रूप से कर एकत्रित करके बड़ी तादाद में निधियों का संग्रह करना, धन ऐंठना और यहां तक कि फिरौती के लिए अपहरण का सहारा लेना भी जारी रखा है ।

(iii) एन एस सी एन (आई /एम) द्वारा हथियारों को प्राप्त किया जाना भी जारी है ।

(iv) सुरक्षा बलों द्वारा एन एस सी (आई/एम) के विरुद्ध कार्यवाहियां न किए जाने से यह भर्ती द्वारा और एन एस सी एन (के) सहित,, अब तक इसके विरोधी गुटों के प्रभाव के अधीन आने वाले क्षेत्रों में पांव जमाकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सक्षम भी हुआ है ।

(v) एन एस सी एन (आई /एम) के संविधान में अभी भी प्रभुसत्ता सम्पन्न नागालैंड के निर्माण का और उद्देश्य को पूरा करने के लिए सशस्त्र संघर्ष भी जारी रखने का लक्ष्य मौजूद है । इसे ध्यान में रखते हुए, यह अनिवार्य है कि शान्ति वार्ताओं और युद्ध विराम के जारी रहने के बावजूद एन एस सी एन (आई /एम) पर प्रतिबंध जारी रखा जाए ।

(vi) यह बातचीत का एक मुद्दा तभी बनेगा जब एन एस सी एन संप्रभुता की अपनी मांग छोड़ दे और भारत के संविधान के दायरे में समाधान के लिए सहमत हो ।

13. पी.डब्ल्यू 1 से 4 के अविवादित साक्ष्य और रिपोर्ट एक्स. पी.डब्ल्यू-2/1 से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि एन एस सी एन (आई/एम) और (के.) के सशस्त्र समूहों और सदस्यों द्वारा हिंसा की बारदातें तथा सिविलियन जनसंख्या और सुरक्षा-कर्मियों पर हमले जारी हैं, अलगाववाद वर्षों से बसे हुए नागा इलाके को एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बनाने के उद्देश्य से, नागा बहुल इलाके को भारतीय संघ से अलग करने की मांग दृढ़ है, गैर-कानूनी गतिविधियों में वे शामिल हैं एवं हिंसक गतिविधियों में कमी के अलावा और कुछ भी नहीं है जिससे एन एस सी एन (आई/एम) और (के.) के मुख्य लक्ष्यों और उद्देश्यों में संगत अवधि के दौरान किसी परिवर्तन का संकेत मिलता हो । अपहरण करने, हथियार और गोलाबारूद इकट्ठा करने, पड़ोसी देशों में प्रशिक्षण शिविर लगाने और संगठन की ताकत को बढ़ाने के लिए उनकी अपील और प्रयास समाप्त नहीं हुए हैं । केन्द्रीय सरकार ने पी.डब्ल्यू 1 से 4 के माध्यम से पर्याप्त सामग्री और दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिससे यह दिखाया जा सके कि एन एस सी एन (आई/एम) और (के) को गैर-कानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण थे । केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रस्तुत रिकार्ड में रखी गई सामग्री, साक्ष्य और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि दिनांक 27.11.2000 की अधिसूचना में बताए गए कारण मौजूद हैं हालांकि पिछले कुछ महीनों के दौरान हिंसक गतिविधियां कम हुई हैं । फिर भी, न केवल हिंसक गतिविधियां जारी हैं बल्कि बसे हुए नागा इलाके को भारतीय संघ से अलग करने का उनका मुख्य उद्देश्य अभी भी बरकरार है और इस लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गैर-कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उनका शामिल होना जारी है । स्पष्ट रूप से, एन एस सी एन (आई/एम) और एन एस सी एन (के) के एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न नागा राज्य बनाने के लक्ष्य और उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वे अपने उद्देश्य के अनुसरण और प्रोत्साहन में हिंसक गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं ।

14. अतः, साक्ष्य और रिकार्ड पर रखी गई सामग्री के मूल्यांकन पर एन एस सी एन (आई/एम) और एन एस सी एन (के) को गैर कानूनी संगठन समझने में मुझे कोई संकोच नहीं है । केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम, 1967 के खंड 3 के उप खंड(1) के तहत दिनांक 27.11.2000 को जारी अधिसूचना एस.ओ 1052(ई) के अंतर्गत की गई घोषणा को एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है ।

ह0/-
2/5/2001
(एन0जी0 नन्दी)
गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिकरण

मई 2, 2001

[सं. 9/3/99-एन. ई.-I]
जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2001

S.O. 456(E).—The following is published for general information :—

Report of Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, Consisting of Hon'ble Mr. Justice N. G. Nandi, Judge, High Court of Delhi

The Government of India in exercise of the powers, conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention), Act, 1967 (37 of 1967) [hereinafter referred to as "the Act"] declared the National Socialist Council of Nagaland [hereinafter referred to as "NSCN"] including all its factions, wings and front organisations to be unlawful association.

2. The Central Government came to the conclusion that the aforesaid organisations were unlawful on the grounds : (1) associations having declared its policy objectives the secession of the Naga inhabited areas a part of the territory of India, from India, (2) engaging in unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India, (3) in pursuance of its aims and objectives had been engaged in several unlawful and violent activities during the period when it had been declared as unlawful association, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving its objectives.

3. The Government of India is also of the opinion that the violent and unlawful activity include :—

(a) extortion of funds and collection of illegal tax from the public including businessmen, traders and Government officials in Nagaland ;

(b) maintaining and further strengthening links with the other North-East insurgent groups like the United Liberation Front of Assam, Bodo Militants, Meitei, Tripura and Khasi extremist groups and extending support to them;

(c) maintaining sanctuaries, safe havens and training camps in the neighbouring countries;

(d) procuring large number of arms and ammunition, including sophisticated ones, through clandestine or illegal channels abroad and inducting them secretly into Manipur and Nagaland through some neighbouring countries;

(e) utilising international fora like the United Nations Commission on Human Rights, the Working Group on Indigenous Peoples etc., for anti-India propaganda abroad;

(f) extending active support to Naga villagers for causing and fomenting communal clashes between the Naga and Kuki tribals in Manipur and Nagaland.

4. The Central Government, on the basis of aforesaid grounds was of the opinion that the aforesaid activities of NSCN were detrimental to the sovereignty and integrity of India. Vide Notification S.O. 1131(E) dated 19-12-2000, Government of India, Ministry of Home Affairs, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Act constituted this Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient ground for declaring NSCN including all its factions, wings and front organisations as unlawful associations and made reference under the provisions of Section 4(1) of the Act to this Tribunal.

5. This Tribunal, by order dated 19-1-2001 in pursuance of provisions of Section 4(2) of the Act had directed issue of notice to NSCN to show cause in writing. The Tribunal had also directed that the notices shall be served through publication in daily national and local newspapers circulated and published in Nagaland as well as by broadcasting on radio and television. Notices were also directed to be served by pasting the same on the Notice Board of each District Magistrate, Tehsildar at the Headquarters of the District or Tehsil, wherever possible. The service report was also directed to be filed in the Office of the Registrar of this Tribunal within two weeks thereafter, duly supported by affidavits of the concerned officials who effected the service along with supporting documents.

The Central Government filed Mark-A the affidavit of service of notification and notices issued by the Tribunal sworn in by Shri Ram Phal, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs along with Annexures 1 to 10, which was taken on record. Thereafter, the Government of Nagaland "and the Union of India were directed to file affidavits by way of evidence within three weeks along with the copies of the relevant documents. The counsel for Union of India as well as the counsel for the State of Nagaland stated that since most of the officers, whose oral evidence has to be recorded, are in Nagaland, necessary date/dates for recording of the evidence be fixed at Dimapur, Nagaland, preferably

in the month of April 2001. Accordingly, the next sitting of the Tribunal was fixed at Dimapur, Nagaland on 20th and 21st April, 2001 for recording of the evidence in the matter. Thereafter, the Government of Nagaland and Union of India were directed to file affidavits by way of evidence along with copies of relevant documents before the next date of hearing.

6. From the material placed on record as well as the report filed by the Registrar of the Tribunal, the Tribunal is satisfied that the notices have been duly served on NSCN as per the directions prescribed under Rule 6 of the Act. No person for and on behalf of the NSCN or any of its wings/factions has put in appearance nor any cause has been shown in response to the notice. Mr. U. Hazarika, Advocate appeared for the Union of India and Mr. Kailash Vasudeva, Senior Advocate with Mr. Sanjay K. Shandilya, Mr. Devadatta Kamat and Mr. A. B. Bhullar, Advocates appeared for the State of Nagaland.

7. It is suggested from the resume filed by the Ministry of Home Affairs (NE Division) that the NSCN and all its factions and units were first declared as "unlawful associations" under the Act for a period of two years w.e.f. 27-11-1994. This was subsequently renewed twice for further periods of two years each. The last notification issued on 27-11-1998 was to expire on 26-11-2000. It was, therefore, necessary to arrive at a decision regarding further extension of the ban before the date. It is further suggested from the resume that all the factions of NSCN have continued to be banned for a period of six years now. It is not necessary for this Tribunal to go into the history of NSCN. To know the aims and objectives of these organisations and their past activities, it would be sufficient to refer back to the year 1994 when the NSCN and all its factions and units were first declared unlawful associations for a period of two years w.e.f. 27-11-1994, which ban was extended for a period of six years by now. The ground on which the NSCN and its factions and units were declared unlawful associations and the ban extended for a period of six years, were:

(i) both the factions of the NSCN continue to have Constitutions which specifically speak of secession of the Naga inhabited areas from India a their ultimate objective;

(ii) since its formation, the NSCN has been responsible for a large number of violent incidents, looting of arms and ammunition from the Army and Police personnels in which a large number of Army/Police personnels and civilians have lost their lives;

(iii) both the factions of NSCN continue to resort to extortions and illegal tax collections for procurement of arms and ammunition as also for maintaining its leaders and cadres;

(iv) both the factions have also sought to play a pivotal role in providing inspiration and support to other insurgent groups in the North-East. Both NSCN (IM) and NSCN(K) reportedly have links with the United Liberation Front of Assam (ULFA) while NSCN(IM) maintains links with Meitei extremists groups of Manipur like the People's Liberation Army (PLA) and the United National Liberation Front (UNLF) which is active in the valley areas of Manipur, the NSCN(K) has also established links with one faction of the UNLF. The NSCN(IM) has also succeeded in forging close links with - the Bodo, Khasi and Tripura tribal extremist groups.

(v) Both factions of NSCN maintain their bases in neighbouring countries. While the NSCN(K) operates from its headquarters in neighbouring Myanmar, the NSCN(IM) is known to have sanctuaries and training camps in Bangladesh. Following the installation of Awami League Government led by Sheikh Hasina Wajed, the Indian insurgent groups including the NSCN (IM) have been forced to vacate many of their camps in Bangladesh. Nevertheless, Bangaldesh continues to be a sanctuary for the various North Eastern Militant groups including the NSCN (IM).

(vi) The NSCN (IM) has also been involved in the Kuki-Naga ethnic conflict which started around 1992 and reached a peak in 1993. Although violent incidents resulting from the Kuki-Naga ethnic conflict have shown a downward trend since 1995, sporadic incidents in remote areas continue to occur causing lose of lives and property.

(vii) both factions of NSCN continue to procure illegal arms and ammunition. These are either being purchased from illegal arms merchants abroad and smuggled into the country or are being snatched from various security forces. Such activities clearly establish the international linkages of the NSCN (IM).

(viii) the NSCN (IM), which had managed to secure membership of the Un-represented Nations and Peoples Organisation (UNPO), an influential international Non-Government Organisation based at Hague, has been utilising the UNPO for gaining access to other international fora like the U.N.Commission on Human Rights, the U.N.Working Group on Indigenous Peoples and the U.N.Sub-Commission on Prevention of Obscrimination against Minorities. The NSCN(IM) leaders have, through the good offices of the UNPO,

succeeded in addressing meetings of these international bodies. In their speech, the NSCN (IM) leaders have criticised the Government of India and launched vituperative attack against the Indian Security Forces alleging violation of human rights and colonisation of the Naga inhabited area.

(ix) NSCN(IM) has also been helping other North Eastern insurgent groups in obtaining membership of the UNPO, Applications from the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and the All Tripura Tiger Force (ATTF) of Tripura for membership of the UNPO have been actively sponsored by the NSCN (IM).

The Notifications under Section 3(1) of the Act, issued from time to time were confirmed by the concerned Tribunals, as pointed out above and the NSCN with all its factions and wings continued to be declared as unlawful association since 1994 AND the Central Govt. issued notification dated 27-11-2000 under Section 3(1) of the Act again declaring the NSCN, including all its factions, wings and front organisations as unlawful associations. It is this notification Ex.PW-1/1, which has been referred to this Tribunal for adjudicating whether on the basis of the material on record, there was sufficient cause for declaring NSCN with all its factions and wings as unlawful association.

On the basis of the Notification dated 27-11-2000 by the Government of India, Ministry of Home Affairs, North-East Division, following questions arise for consideration :—

1. Whether on the basis of the material on record there was sufficient ground for declaring the NSCN, including all its factions, wings and front organisations as unlawful associations?

2. Whether the Government of India was justified in declaring their activities as unlawful vide Notification dated 27.11.2000, issued in the Gazette of India, Extraordinary dated 19-12-2000?.

8. On 20.4.2001 the Union of India examined Mr. Ramphal, Under Secretary, Govt of India, Ministry of Home Affairs (P.W.1), who tendered in evidence his affidavit by way of evidence as Ex.PW-1/2 and also examined Mr. C. Kikon, Inspector General of Police (Intelligence) Nagaland (P.W.2), who produced the report Ex.PW-2/1, Mr. Amardeep Singh Bhatia, Deputy Commissioner of Dimapur, Nagaland (P.W.3) and Mr. P. F. Zeliang, Superintendent of Police, Dimapur, Nagaland (P.W.4). None remained present/appear for and on behalf of the NSCN before the tribunal on the date of hearing and the evidence of P.W.I, P.W.2, P.W.3 and P.W.4 remains unchallenged.

9. From the above material placed on record, it is manifestly clear that both the factions of NSCN i e. NSCN (I/M) and NSCN (K) have openly declared their objective of formation of independent sovereign country, comprising Naga inhabited area, i.e. the Federal State of Nagaland by bringing about secession of the Naga inhabited area presently the State of Nagaland from the territory of India. From the evidence on record, it is clear that these organizations and the individuals connected with them have been resorting to violent incidents, looting of arms and ammunition from the Army and Police personnels and that large number of Army and Police personnels have lost their lives. It is also suggested from the material on record that both the factions of NSCN continued to resort to extortion and illegal tax collections for procurement of arms and ammunitions and for maintaining the leaders and. cadres of the respective factions. As pointed out above, the evidence also discloses that both the factions have been collecting tax from the shopkeepers and the other citizens including the business organizations like Indian Oil Corporation and number of cases of extortion are being reported. The taxes are also demanded from the government employees, particularly, heads of Departments by both the factions to the extent of 25% of their salary. The evidence also reveals that in the incident of 19-11-1999, the Chief Minister of the State of Nagaland was ambushed by NSCN (I/M) faction at Kohima-Dimapur Road at National Highway No.39 and in this ambush two police jawans were killed. It is also disclosed from the evidence that both the factions i e. NSCN (I/M) and NSCN (K) try to establish supremacy over each other by resorting to violence and in the incident of 12-2-2001, one Vikeshe Sema of Village Kehokhu of Dimapur District, belonging to NSCN (K) faction was abducted by the NSCN (I/M) faction and was shot dead on the same day at Dimapur Stadium. The evidence also discloses that in the incident of 18-8-2000, the cash remittance amounting to Rs.23.00 lakhs, transmitted by Punjab & Sindh Bank to the Chest Branch of State Bank of India, was ambushed by NSCN (I/M) cadres and looted the whole amount and in the incident, one of the assailants got injured in the firing opened by the escort party at the assailants. Thus, it will be seen from the material on record that there have been incidents of abduction, killings, extortion, demand for tax and other demands by NSCN (I/M) and NSCN (K) which is also supported by the report Ex.PW-2/l (containing 22 pages).

10. The evidence on record clearly discloses that both the factions of NSCN have been targeting and terrorising people of Nagaland, Government employees, trade and establishments in the State, police and security forces personnels and have been indulging in acts of intimidation and extortion of huge funds illegally and civilian population of the area concerned with the nefarious objective of coercing the citizens of these areas to succumb to their unlawful activities and help them in achieving their object of secession of the Naga inhabited area from Union of India.

From the evidence of P.W.1 it is also clear that these organisations have established contacts with certain foreign countries enmical to India's security interests and are having sanctuaries and training camps in the neighbouring countries and that the neighbouring country Bangladesh continues to be a sanctuary for the various North-Eastern militant groups including NSCN. It is also suggested that both, the factions also sought to play a pivotal role in providing inspiration and support to other insurgent groups in the North-East and both the factions NSCN (K) reportedly have links with the United Liberation Front of Assam (ULFA) while NSCN (I/M) maintains links with Meitei extremists groups of Manipur like the People's Liberation Army (PLA) and the United National Liberation Front (UNLF) which is active in the valley areas of Manipur, the NSCN (K) has also established links with one faction of the UNLF; that NSCN (I/M) has also succeeded in forging links with the Bodo, Khasi and Tripura tribal extremist Groups; that both factions of NSCN maintain their bases in neighbouring countries; that NSCN (I/M) has also been involved in the Kuki-Naga ethnic conflict; that both factions of NSCN continue to procure illegal arms and ammunition, either being purchased from illegal arms merchants abroad and smuggled into the country or are being snatched from various security forces. It is further suggested from the evidence of P.W.1 that NSCN (I/M), has managed to secure membership of the Un-represented Nations and Peoples Organisation (UNPO), an international Non-Government Organisation based at Hague and has been utilising the UNPO for gaining access to other international fora like the U.N. Commission on Human Rights, the U.N. Working Group on Indigenous Peoples and the U.N. Sub-Commission on Prevention of Discrimination against Minorities. The evidence also establishes that NSCN (I/M) leaders have, through the offices of the UNPO addressed meetings of these international bodies and in their speech, the NSCN (I/M) leaders have criticised the Government of India and launched vituperative attack against the Indian Security Forces alleging violation of human rights and colonisation of the Naga inhabited area. The evidence further establishes that NSCN (I/M) has also been helping other North Eastern insurgent groups in obtaining membership of the UNPO and that the applications from the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and the All Tripura Tiger Force (ATTF) of Tripura for membership of the UNPO have been actively sponsored by the NSCN (I/M). The evidence further suggests that there are number of incidents the extremists killed, extremists arrested, the security forces personnels killed, arms looted, arms recovered, extremists surrendered, citizens killed, kidnapping/abduction during the years 1998, 1999 and 2000 by NSCN (I/M) and NSCN (K). The evidence at the same time also discloses that NSCN (I/M) have pursuant to the cease-fire, which is in force till 31-7-2001 have refrained from attacks on security forces in Nagaland during the cease-fire, however, the violent attacks continue to take place. Even the evidence of P.W. 2 to P.W. 4 also discloses that the incidents of violence by both the factions of NSCN have decreased. Still, however, the incidents of violence are taking place. In the incidence of 29-11-1999 the convoy of the Chief Minister of the State of Nagaland was ambushed by NSCN (I/M) faction at Kohima-Dimapur Road and in this ambush two police jawans were killed.

11. Thus, it will be seen from the evidence that there is total disregard to the integration of State of Nagaland with Union of India pursuant to the Government of India Act, 1935 and Indian Independence Act, 1947. The NSCN (I/M) and (K) are carrying out relentless anti-Indian propaganda by addressing meetings, as pointed out above with a view to attain their objective of secession of Naga inhabited area from the Union of India and from the evidence on record, it is further clear that NSCN also espouses the cause of secession of other organizations referred to above and in furtherance of their objective, they have adopted terrorist and violent means and that the NSCN are continuing with their extremist, secessionist and violent activities.

12. The reasons for the fresh notification, as set out in the said gazette notification dated 27-11-2000 by the Government of India, Ministry of Home Affairs, North-East Division, are :-

(i) Continued espousal of the policy of secession of the Naga inhabited areas from India.

(ii) Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

(iii) Continued adoption of violence and terror through armed action as means for achieving objective.

(iv) Continued large-scale killing of civilians.

(v) High levels of extortions and illegal tax collections from the public including businessmen, traders and even government employees.

(vi) Links and support to other North-East insurgent groups like the ULFA, Bodo militants, Meitei extremists, Tripura tribal extremist group and a Khasi extremist outfit.

(vii) Continued maintenance of sanctuaries, safe havens and training camps in neighbouring countries, mainly in Bangaldesh and Myanmar.

(viii) Procurement of large number of sophisticated arms and ammunitions through clandestine channels abroad and induction into Manipur and Nagaland.

(ix) Use of various international fora for mobilising support for self-determination for the Nagas with the ultimate objective of separating the Nagas inhabited areas from India.

(x) Active involvement in causing and fomenting communal clashes between the Nagas and other tribes in the North Eastern States.

The additional justifications for continued ban on NSCN (IM) are:

(i) While NSCN (IM) has refrained from carrying out attacks on security forces during the Cease Fire period, its cadres have been engaged in propaganda offensive against the NSCN (K).

(ii) They continue to resort to massive mobilisation of funds by unlawful tax collections, extortion and even kidnapping/abduction for ransom.

(iii) The procurement of arms by the NSCN (IM) has also been continuing.

(iv) The absence of operations against NSCN (IM) by security forces have also enabled the outfit to consolidate its position by recruitment and by gaining foothold in areas hitherto under the influence of its rival factions including the NSCN (K).

(v) The constitution of NSCN (IM) still has in its character creation of a sovereign Nagaland and also armed struggle to achieve its means. In view of this, it is essential that the ban on NSCN (IM) should continue inspite of the ongoing peace talks and the ceasefire.

(v) This would also be a negotiating point at a time when the NSCN give up their demand for sovereignty and agree to a solution within the framework of the Constitution of India.

13. From the unchallenged evidence of P.Ws. 1 to 4 and the report Ex.PW-2/1, it is abundantly clear that there have been continuous acts of violence and attacks by armed groups and members of NSCN (IM) and (K) on the civilian population as well as on the security personnels, persistent demand to procure secession, secession of Naga inhabited area from Union of India with the object of creating an independent sovereign State of Naga inhabited area over the years, indulgence in unlawful activities and there is nothing, except the decrease in violent acts to indicate any change in the main aims and objectives of NSCN (IM) and (K) during the relevant period. There is no let off in their activities of extortion, acquisition of arms and ammunition, setting up of training camps in neighbouring countries and their appeal and their endeavour to increase the strength of the organization. The Central Government has produced sufficient material and documents through P.Ws. 1 to 4 to show that there was sufficient cause for declaring NSCN (IM) and (K) to be unlawful having considered all the materials placed on record, evidence and the documents produced on behalf of the Central Government, I am satisfied that the grounds stated in the Notification dated 27-11-2000 do exist although acts of violence have decreased during the last few months. Nevertheless, not only the acts of violence still continue but their main objective of secession of Naga inhabited area from Union of India also subsists and in order to achieve this aim and objective, the indulgence in unlawful and anti-national activities continue. Evidently, there is no change in the aims and objectives of NSCN (IM) and NSCN (K) of forming an independent Sovereign Naga State and they are resorting to violent activities in pursuance to and furtherance of their objective.

18. Therefore, on appreciation of the evidence and material placed on record, I have no hesitation in holding the NSCN (IM) and NSCN (K) to be the unlawful associations. The declaration made by the Central Government vide Notification S.O. 1052 (E) dated 27-11-2000 issued under sub-Section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 is hereby confirmed.

May 2, 2001

(N. G NANDI)
Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

[No. 9/3/99-NE.I]

G. K. PILLAI, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.